न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 192/2019

एल. एण्ड टी. हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय– द्वितीय तल, श्रीजी टॉवर, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 .....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1). श्री मोहन लाल बदलानी,
निवासीः– 22/166, उसरी गेट, सैन्ट जोसफ चर्च के पास, अजमेर राज0 305001
(2). श्रीमती मीरा देवी बदलानी,
निवासीः– 22/166, उसरी गेट, सैन्ट जोसफ चर्च के पास, अजमेर राज0 305001
(3). श्री नरेश कुमार बदलानी,
निवासीः– 22/166, उसरी गेट, सैन्ट जोसफ चर्च के पास, अजमेर राज0 305001
(4). श्री अनूप कुमार बदलानी,
निवासीः– 22/166, उसरी गेट, सैन्ट जोसफ चर्च के पास, अजमेर राज0 305001
.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– जोबिन मैथ्यु – अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 13.11.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 04 को दिनांक 30.04.2007 को रू. 13,86,814/– (अक्षरे तेरह लाख छियासी हजार आठ सौ चौदह रूपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर उसरी गेट, सैन्ट जोसफ चर्च के पास, अजमेर (राज0) स्थित मकान नं0 22/166 का आधा हिस्सा जिसकी वसीयत कुंन्दनमल उर्फ खुशालदास द्वारा अप्रार्थी/ऋणी श्री मोहनलाल बदलानी के हक में दिनांक 20.8.1990 को किया गया को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 04.04.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 17.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 14,68,875.11/– (अक्षरे चौदह लाख अडसठ हजार आठ सौ पिचत्तर रूपये व ग्यारह पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एंवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति, उसरी गेट, सैन्ट जोसफ चर्च के पास, अजमेर (राज0) स्थित मकान नं0 22/166 का आधा हिस्सा जिस की वसीयत कुंन्दनमल उर्फ खुशालदास द्वारा अप्रार्थी/ऋणी श्री मोहनलाल बदलानी के हक में दिनांक 20.8.1990 को किया गया का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner